न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 4 / 2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018 / 00004)

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री नवलकिशोर सर्राफ जाति महाजन निवासी नेहरू गार्डन के सामने लालसोट रोड दौसा जिला दौसा राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र श्यामलाल माता भूली देवी जाति लुहार निवासी ग्राम रतावत तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. मु0 भौरी देवी बेवा कल्याणसहाय जाति लुहार निवासी बडागांव तहसील दौसा [illegible] तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
3. ग्राम पंचायत बडागांव तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत

—रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 08.05.2017 उनवानी हरिसिंह बनाम ग्राम पंचायत बडागांव

उपस्थित—

1. श्री उमेश गौड, वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक —26.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.05.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 02.01.2018 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा के समक्ष रेस्पोंडेन्ट सख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत बडागांव तहसील दौसा बाबत नामान्तरकरण सख्या 150 निर्णय दिनांक 28.06.1997 वाके ग्राम बडागांव तहसील दौसा के विरूद्ध अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2017 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.06.1997 नामान्तरकरण संख्या 150 वाके ग्राम बडागांव निरस्त किया जाकर एवं प्रकरण तहसीलदार नांगलराजावतान को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि प्रकरण में वारिसान की विधिवत सुनवाई की जाकर बाद जॉच पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 08.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री नवलकिशोर सर्राफ द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एव अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 08.05.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पाडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1094 रकबा 69 ऐयर किस्म ढेहरी वाके ग्राम बडागांव तहसील तत्कालीन दौसा की तत्कालीन खातेदार मु0 पार्वती देवी बेवा रेवडया जाति लुहार सा. देह की मृत्यु के दस वर्ष बाद इसकी खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण इसकी एक मात्र पुत्री भूली देवी के नाम पटवारी हल्का द्वारा करा दिया गया। जिसमें कोई तिथि अंकित नहीं की गई। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई तुलना में भी स्पष्ट तिथि अंकित नहीं की गई। उक्त नामान्तरकरण किस अधिकारी के द्वारा तस्दीक किया गया यह विवरण भी अंकित नहीं है। संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 150 के विरूद्व प्रत्यर्थी संख्या एक व दो ने प्रथ्यर्थी संख्या 3 के विरूद्ध अपील योग्य अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा में दिनांक 14.02.2007 को प्रस्तुत की। संदर्भित अपील मीमो के शीर्षक में अपीलांटस की ओर से नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 28.06.97 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना अंकित किया गया है जबकि नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 28.06.97 को तस्दीक नहीं हुआ। नकल नामान्तरकरण संख्या 150 के अवलोकन से तथ्य प्रमाणित है। अपील मीमो के चरण संख्या पांच लगा. 8 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या 150 जो स्व. पार्वती देवी की विरासत का स्व0 भूली देवी के नाम भरा गया के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की बल्कि स्व. भूली देवी द्वारा भूमि अंकित नामान्तरकरण का विक्रय पत्र दिनांक 04.10.97 को वर्तमान अपीलांट सुशीला देवी के नाम जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किये गये बेचान के आधार पर अपीलांट के नाम भरे गये नामान्तरकरण संख्या 152 जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.10.97 को भरा गया, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.97 को तुलनात्मक टिप्पणी अंकन की एवम ग्राम पंचायत बडागांव प्रत्यर्थी संख्या तीन द्वारा दिनांक 10.01.98 ई0 को तस्दीक किया गया, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अतः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या गलत अंकित की। नामान्तरकरण तस्दीक की दिनांक गलत अंकित की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपना ध्यान केन्द्रित किये बिना अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण अधिनस्थ तहसीलदार नांगल राजावतान को पुनः प्रेषित (रिमाण्ड) कर जांच करने को आदेशित फरमाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 8.5.17 प्रक्रियात्मक, तथ्यात्मक, विधिक एवं न्यायिक दृष्टि से सही नहीं होने के कारण खण्डनीय है। स्व0 पार्वती देवी की पुत्री स्व0 भूली के नाम उत्तराधिकार का नामान्तरकरण होने के बाद उसके द्वारा भूमि अंकित नामान्तरकरण खसरा नम्बर 1094 ग्राम बडागांव का विक्रय वर्तमान अपीलांट श्रीमती सुशीला देवी के नाम दिनांक 4.10.97 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 152 अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.01.98 ई0 को तस्दीक फरमाया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट ने कोई अपील अधिनस्थ न्यायालय में नहीं की। प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो ने स्व0 भूली देवी द्वारा अपीलांट सुशीला देवी के पक्ष मे स्व0 भूली देवी द्वारा दिनांक 4.10.97 को पंजीकृत करवाये विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए अपीलांट के विरूद्ध वाद संख्या 8/2005 उनवानी हरिसिंह बनाम श्रीमती सुशीला देवी सक्षम सिविल न्यायाधीश व0ख0 दौसा में दिनांक 2.6.05 को प्रस्तुत किया। न्यायालय ने शीर्षक वाद में पक्षकारगण की विधिवत सुनवाई कर 8 साल तक प्रकरण की सुनवाई कर पक्षकारगण की साक्ष्य के गुणावगुण पर दिनांक 25.2.14 को निर्णय पारित कर प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो द्वारा प्रस्तुत शीर्षक वाद को निरस्त फरमा दिया। प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.14 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश ने अपील संख्या 4/2014 के रूप में अपने निर्णय दिनांक 15.10.2016 द्वारा गुणावगुण पर पक्षकारगण की सुनवाई कर निरस्त फरमा दिया। इस प्रकार स्व0 भूली देवी द्वारा अपीलांट श्रीमती सुशीला देवी के पक्ष में दिनांक 4.10.97 को पंजीकृत करवाया गया, पंजीकृत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

विक्रय पत्र सही माना गया। पक्षकारगण के बीच विक्रय पत्र के संबंध में अंतिम निस्तारण न्यायालय अपील जिला न्यायाधीश दौसा के निर्णय दिनांक 15.10.2016 के अनुसार हो गया। प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो ने तथ्यों छिपाकर सिविल न्यायालय में वाद संख्या 8/2005 प्रस्तुत करने के बाद शीर्षक अपील अधिनस्थ उप जिला कलेक्टर दौसा न्यायालय में प्रस्तुत की। शीर्षक अपील अधिनस्थ न्यायाल में विगत 10 वर्षों से विचाराधीन रही। अपीलांट आराजी अंकित नामान्तरकरण की अभिलिखित खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भूमि के वर्तमान अभिलेख का अवलोकन किये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग नहीं कर मुकदमेंबाजी को बढ़ावा दिया है। नामान्तरकरण से सिविल अधिकार का निस्तारण नहीं हो सकता है। पक्षकारगण के बीच विक्रय पत्र दिनांक 10.4.97 के संबंध में सक्षम न्यायालय के निर्णयों के बाद नामान्तरकरण जैसी त्वरित कार्यवाही को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य व आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत अविधिक कार्यवाही निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय में किये गये विवेचन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है दिनांक 28.06.1997 को भूली देवी के नाम कोई नामान्तरकरण नहीं खोला गया। भूली देवी की मृत्यु तिथि के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय साक्ष्य के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर चुका है उसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय ने तदर्थ जांच हेतु तहसीलदार को प्रकरण पुनः प्रेषित करने का निर्णय पारित कर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। अपीलांट शीर्षक अपील अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी अतः प्रश्नगत निर्णय की जानकारी होना अपीलांट को संभव नहीं था। अपीलांट व्यथित पक्षकार है। जिसे प्रश्नगत निर्णय की जानकारी दिनांक 15.12.17 को होने के बाद न्यायालय में जानकारी कर दिनांक 18.12.17 को प्रतिलिपियां प्राप्त की है अतः अपीलान्ट न्यायालय मान्य से अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदन कर बाद जानकारी अपील समय सीमा में प्रस्तुत कर रही है विलम्ब सकारण एवं काबिले माफी है, जिसे क्षम्य करवाने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भा.परि. अधिनियम प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 08.05.2017 निरस्त किया जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेसपोडेन्टस के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। चूंकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं रही है तथा प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी विधिक रूप से प्रभावित व्यक्ति है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। अतः अपीलार्थी का पक्ष सुनकर तथा विक्रय पत्र के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन कर उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जाँच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 08.05.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा को उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथा विक्रय पत्र के संबंध में सिविल न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन कर विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जाँच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर